न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर
महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 02/2018

1. हाजरा बेवा इब्राहीम जाति फकीर निवासी वार्ड न0 13 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. अमीन पुत्र निजामुदीन जाति फकीर निवासी वार्ड न0 13 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

2.अब्दुल मजीद पुत्र निजामुदीन जाति फकीर निवासी वार्ड न0 13 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

3.सराजुदीन पुत्र निजामुदीन जाति फकीर निवासी वार्ड न0 13 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

4.शौकिन पुत्र इब्राहीम जाति फकीर निवासी वार्ड न0 13 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

5.इलियास पुत्र निजामुदीन जाति फकीर निवासी वार्ड न0 13 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

6.सत्तार पुत्र इब्राहीम जाति फकीर निवासी वार्ड न0 13 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

7.मुश्ताक पुत्र इब्राहीम जाति फकीर निवासी वार्ड न0 13 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

8.श्री प्रदीप कुमार चाहर तहसीलदार राजगढ जिला चूरू ।

9.श्री रामस्वरूप मीणा गिरदावर तहसील राजगढ जिला चूरू ।

10.श्री विनोद कुमार पटवारी हल्का पटवारी कस्बा राजगढ जिला चूरू ।

11.स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजगढ ।

12.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः— 1. श्री ओमप्रकाश आचार्य अधिवक्ता अपीलांट्

कन्टेम्प प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कन्टेम्प आफ कोर्ट एक्ट

निर्णय दिनांकः—03.02.2021

1. कन्टेम्प प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अपील न्यायालय वाला के समक्ष उनवान हाजरा बनाम आमीन मु0न0 8/2011 उक्त अपील में दोनो पक्षो की सुनवाई की जाकर अपील स्वीकार की गयी एवम विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ जिला चूरू के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2011 को अपास्त किया गया एवम डिक्री बहक प्रार्थीयाप व अप्रार्थी सं0 1 ता 7 इस आशय की जारी की गयी कि गत खसरा नम्बर 748 से बने ख0न0 949 व 947 से बने ख0न0 2181/1914 रकबा 0.40 हैक्टर व ख0न0 2215/1916 रकबा 3.23 हैक्टर कुल रकबा 3.63 हैक्टर वाक रोही कस्बा राजगढ जिला चूरू के खातेदार काश्तकार घोषित किया गया । जिसकी पालना तहसीलदार द्वारा नही करने के कारण प्रार्थीया ने कन्टेम्प प्रार्थना पत्र पेश किया है ।
2. कन्टेम्प प्रार्थना पत्र के अभिभाषक पक्ष ने तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपील न्यायालय वाला के समक्ष उनवान हाजरा बनाम आमीन मु0न0 8/2011 उक्त अपील में दोनो पक्षो की सुनवाई की जाकर अपील स्वीकार की गयी एवम विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ जिला चूरू के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2011 को अपास्त किया गया एवम डिक्री बहक प्रार्थीयाप व अप्रार्थी सं0 1 ता 7 इस आशय की जारी की गयी कि गत खसरा नम्बर 748 से बने ख0न0 949 व 947 से बने ख0न0 2181/1914 रकबा 0.40 हैक्टर व ख0न0 2215/1916 रकबा 3.23 हैक्टर कुल रकबा 3.63 हैक्टर वाके रोही कस्बा राजगढ जिला चूरू के खातेदार काश्तकार घोषित किया गया । जिसकी पालना में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 ता 7 उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार/अप्रार्थी सं0 8 द्वारा ने राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद नही कर न्यायालय हाजा के आदेश व डिक्री दिनांक 25.01.2018 की पालना नही की गयी व अप्रार्थी सं0 8 ता 10 बिना किसी अधिकार, खिलाफ कानून व अवैध रूप से प्रार्थीया व अप्रार्थीया 1 ता 7 के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि से

बेदखल करने के लिये दिनांक 03.07.18 को आये और धमकी दी की विवादित जमीन को खाली कर दे नही तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवम मुतनाजा भूमि से बैदखल कर दिया जायेगा । प्रार्थीया व उसके सहखातेदारान न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री के के दिन से ही कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुके है इस कारण अप्रार्थी सं0 8 ता 10 के द्वारा दिनांक 03.07.18 को बिना किसी अधिकार के प्रार्थीया के भूमि पर विधि विरूद्व तरिके से प्रवेश करना उक्त कृत्य भी भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में भी आता है तथा न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री को नही मानना खुले आम न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है अतः अप्रार्थी सं0 8 ता 10 के विरूद्व कन्टेम्प आफ कोर्ट के तहत कार्यवाही की जावे । अप्रार्थी सं0 1 ता 7 उपलब्ध नही होने के कारण प्रफोर्मा अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किये गये है । इनसे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है ।

3. अप्रार्थीगण सं0 8 ता 10 को जारी रजिस्टर्ड ऐडी अदम तामिल प्राप्त नही तथा न ही कोई उपस्थिति आये । अप्रार्थी सं0 1 ता 7 प्रफोर्मा पक्षकार बनाये गये है, प्रार्थीया ने इनसे कोई अनुतोष नही चाहा है ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । अप्रार्थी सं0 8 द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की सर्वप्रथम पालना की जानी चाहिये थी । अगर अप्रार्थी सं0 8/तहसीलदार राजगढ लैण्ड हौल्डर की हैसियत से निर्णय एवम डिक्री की पालना राजहित में नही करना चाहते थे तो उसकी अपील सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिये थी । कन्टेम्प आफ कोर्ट के सम्मन तामील के बावजुद न्यायालय हाजा में उपस्थित भी नही आये है । इससे साबित होता है कि अप्रार्थी सं0 8 ता 10 ने न्यायालय हाजा के निर्णय की अवहेलना कर अपने कर्तव्य के प्रति उतरदायी राजसेवक नही है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर कन्टेम्प आफ कोर्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवम पूर्व निर्णय दिनांक 25.01.2018 की पालना तत्काल करने हेतु अप्रार्थी सं0 8 ता 10 को आदेशित किया जाता है । आदेश की पालना नही होने की स्थिति में न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही संस्थित की जावेगी ।

6. निर्णय आज दिंनाक 03.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर